



भारतीय महिला संगठन की राजनीति में सक्रिय भागीदारी का राजनैतिक विश्लेषण

डॉ० सुधा कुमारी (अतिथि शिक्षिका)
राजनीति विज्ञान विभाग,
हरिहर साहा महाविद्यालय उदाकिशुनगंज,
बी० एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

भूमिका : भारतबोध के साथ-साथ विश्वबोध के राजनैतिक दृष्टि से महिलाओं के राजनैतिक चिंतन में राजनीति के पुनर्गठन, संवेदन और सृजन का बड़ा गहरा आग्रह है, महिलाओं के राजनैतिक चिंतन की मूल व्यवस्था “हिंदुस्तानी” भी है और “इंसानी” भी। महिलाओं के राजनैतिक चिंतन की अवधारणा का प्रत्येक भारतीय महिलाओं के लिए समानता एवं न्याय के राजनैतिक अधिकार के सन्दर्भ में व्यापक महत्व है।

राजनैतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है - एक, विचार या योजना की तथा दूसरी, प्रयोग अथवा व्यवहार की। इसमें दर्शन पूर्व पक्ष है और नेतृत्व उत्तर पक्ष। दूसरे शब्दों में कहें तो-राजनैतिक दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा गहन विचार और विश्लेषण कर राजनैतिक सिद्धान्तों का निर्माण करता है। सत्य यह है कि महिलाओं के राजनैतिक विचार चिर-नवीन हैं। निःसन्देह सुधार आन्दोलन के दौरान हमारे बुद्धिवादी सुधारकों ने सामाजिक रूढ़ियों और अन्धविश्वासों से महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए कई सराहनीय राजनैतिक प्रयास किये, जिससे महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आना प्रारम्भ हो गया और जन साधारण पर्दा-प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों से मुक्ति हेतु प्रयास करने लगे फिर भी भारतीय महिलाओं की स्थिति में उस समय तक कोई विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जब तक स्वयं महिला नेत्रियों ने स्वयं को इस कार्य में नहीं लगा दिया। अखिल भारतीय महिला परिषद् की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक महिला संगठन बन चुके थे। प्रारम्भ में पंडिता रमाबाई और रमाबाई रानाडे आदि शिक्षित एवं बुद्धिजीवी महिलाओं ने व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा पीड़ित महिलाओं के कल्याण हेतु कुछ उपयोगी संस्थाओं का गठन किया और बाद में कुछ संगठन देश में नारी के राजनीतिकरण करने के प्रसार हेतु बनाए गए जिनमें से निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-



1. द लेडीज एसोसिएशन-1886 ई. में इसकी स्थापना बंगाल में स्वर्ण कुमारी देवी ने की थी। उनका उद्देश्य महिलाओं को अन्धकार से निकालकर राजनीति के प्रकाश में लाना था।
2. शारदा सदन -1892 ई. में इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी ताकि महिला शिक्षा में समुचित विकास किया जा सके। बाद में इस संस्था ने अनाथों के पोषण तथा अकाल पीड़ितों की सेवा कार्य को भी सम्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया।
3. श्री माहीपत्रम रूपराम अनाथ आश्रम-1892 ई. में ही प्रमुख समाज सुधारक माही-पत्रम की स्मृति में इस संस्था की स्थापना की गई। अनाथ बच्चों का पोषण करना इस संस्था से जुड़े लोगों का प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही इस संस्था ने बेसहारा महिलाओं को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।
4. महिला जोरास्ट्रियन मण्डल- इस संस्था की स्थापना 1903 ई. में मुम्बई की पारसी महिलाओं ने मिलकर की थी। आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं की सहायता करना इस संस्था का मुख्य लक्ष्य था। उन्हें कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाना था, इस संस्था का अन्य महत्वपूर्ण कार्य था।
5. गुजराती हिन्दू स्त्री मण्डल- गुजरात की महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। साथ ही इस संस्था द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किये जाते थे।
6. सेवासदन -1909 ई. में स्थापित इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य महिला शिक्षा का विस्तार और राष्ट्रीयता का प्रचार करना था। इसकी संस्थापक रमा बाई रानाडे थीं। इस संस्था के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि वस्तुतः यह संगठन संस्था न होकर महिला सशक्तिकरण के हेतु एक आन्दोलन था।
7. सरोज नलिनी की समितियाँ- सरोज नलिनी ने सम्पूर्ण भारत में समितियों की स्थापना की और भारतीय महिलाओं का ध्यान समाज में विद्यमान कुरीतियों को हटाने की ओर आकर्षित किया। स्वदेशी के प्रचार में भी इन समितियों ने विशेष योगदान प्रदान किया। साथ ही बाल विवाह और पर्दा प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई तथा विधवा विवाह का समर्थन किया।



8. वुमेन्स इण्डियन एसोसियेशन -1917 ई. में स्थापित इस संस्था के सन्दर्भ में मार्ग्रेट काजिन्स ने यह उल्लेख किया है कि इस संस्था ने महिलाओं में आत्मचेतना जागृत करने का दायित्व आरम्भ किया और विभिन्न नगरों में इसकी शाखाएँ स्थापित की गईं। यह अखिल भारतीय स्तर की पहली संस्था थी। यह संस्थ कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्बद्ध थी और महिलाओं को मताधिकार दिलाने में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
9. वुमेन्स काउन्सिल ऑफ इण्डिया-1920 ई. में स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य महिला कल्याण की दिशा में कार्य करना था। इस संस्था में भिखारियों की समस्या को दूर करने, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने और श्रम कैम्पों के आयोजन को अपना लक्ष्य बनाना तथा 1922 ई. में एक अनाथालय की भी स्थापना का था
10. अखिल भारतीय महिला परिषद्-1926 ई. में अखिल भारतीय महिला परिषद् का गठन किया गया जिसका श्रेय मार्ग्रेट काजिन्स और सरोजिनी नायडू को जाता है। प्रारम्भ में कई स्थानों पर छोटी-छोटी सभाओं का आयोजन कर जागरूक महिलाओं ने महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में चिन्तन किया। कालान्तर में पूना में इसका प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता महारानी चिमनीबाई गायकवाड़ चुनी गईं और प्रथम सचिव का दायित्व मार्ग्रेट काजिन्स को दिया गया और इसमें प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार किया गया। सामाजिक कुरीतियों व कुप्रथाओं की निन्दा की गई और सामान्यतः महिलाओं की समस्याओं को भली प्रकार प्रस्तुत करते हुए उनके हल का भी प्रयास किया गया।

1928 ई. से 1940 ई. तक इस अखिल भारतीय महिला परिषद् के कई सम्मेलन हुए जिनमें अलग-अलग विदुषी महिलाओं ने अध्यक्षता की और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो निम्न प्रकार हैं-

1. लेडी इरविन कॉलेज की नींव रखी गई।
2. गाँधी जी के आह्वान पर महिलाओं ने राजनीतिक संघर्ष में भाग लिया।
3. उत्तराधिकारी के प्रश्न पर गम्भीर विचार-विमर्श किया गया।
4. बर्लिन की इण्टरनेशनल कांग्रेस में भाग लेने के लिए कई महिलाएँ विदेश गईं।
5. 1931 ई. में सम्पूर्ण देश में महिला दिवस का आयोजन किया गया।



6. समान अधिकारों के लिए एक ठोस कार्यक्रम बनाया गया।
7. गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा संवैधानिक समानता की वकालत करने का निश्चय किया गया।
8. संस्था का एक प्रतिनिध मण्डल वायसराय से मिला।
9. 1933 ई. में वृहत् सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया।
10. 1934 ई. व 1940 ई. में क्रमशः कोलकाता और कराची में विराट् महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया।
11. तदन्तर 1935 ई. में त्रिवेन्द्रम और 1936 ई. में अहमदाबाद में सम्मेलन हुए। अहमदाबाद सम्मेलन में इंग्लैण्ड की एक महिला नेत्री ने भाग लिया।
12. इस संस्था ने ग्राम सुधार, नारी शिक्षा, उत्तराधिकार बिल, विवाह अधिनियम ग्राम्य चिकित्सा सेवा आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार किया तथा समस्याओं के हल का मार्ग प्रशस्त किया।

इस अवधि के अन्य महिला संगठनों में-

- (i) हिन्दू वुमेन्स रेस्क्यू होम सोसायटी (1927)
- (ii) रतन टाटा इण्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट (1928)
- (iii) ज्योति संघ (1934)
- (iv) विकास गृह (1935)
- (v) दयालबाग महिला कोऑपरेटिव एसोसियेशन (1938) तथा
- (vi) कस्तूरबा गाँधी नेशनल ट्रस्ट आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता- राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता प्रागैतिहासिक काल में जितनी रही है उतनी शायद कालान्तर में कभी देखने में नहीं आई है - भारत में देवी पूजन की परम्परा यह सिद्ध करती है, परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि किसी काल इतिहास में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है जब महिलाओं ने राजनीति में अपनी भागीदारी न की हो। निःसन्देह चाणक्या के समान किसी कूटनीतिक प्रतिभासम्पन्न महिला का उल्लेख नहीं मिलता है किन्तु प्रत्यक्ष शासन प्रबन्ध अथवा प्रशासनिक मन्त्रणा, भारतीय महिलाओं की योग्यता, सूझबूझ, दूरदृष्टि और



प्रशासनिक क्षमता आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया है।

मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत महिला ही कबीले की मुखिया मानी जाती रही है और वर्तमान समय में भी कुछ आदिवासी कबीलों में महिलाओं को प्रधान के पद पर सुशोभित देखा जा सकता है परन्तु इसका तात्पर्य यह कदाचित नहीं है कि वहाँ पुरुष पूर्णतया शक्तिहीन और दया के पात्र थे।

हमारी पौराणिक देवियों और उत्खनन से प्राप्त महिला मूर्तियों से शक्ति सम्पन्न नारियों का आभास होता है। यद्यपि वैदिक समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था किन्तु फिर भी इस काल में महिलाएँ विदुषी थीं और उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किये जाने का वर्णन प्राप्त होता है।

महाकाव्य काल में कई स्त्री राज्यों के स्थापना का वर्णन प्राप्त होता है। रावण द्वारा श्वेतद्वीप के स्त्री राज्य पर आक्रमण किये जाने का उल्लेख रामायण में प्राप्त होता है जिसके लिए नारद ने उसे प्रोत्साहित किया था किन्तु कार्यकारी पुरुष न होने के बाद भी रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। राजा दशरथ की पत्नी एक विदुषी मंत्राणी होने के साथ-साथ बहादुर महिला थी और अपने पति के साथ रणक्षेत्र में जाती थी।

मध्यकाल में सिकन्दर के भारत पर आक्रमण के समय पंजाब रावी नदी के किनारे पर एक महिला शासिका ने सिकन्दर का बहादुरी से सामना किया था और सिकन्दर की सेना को नौ दिन बाद पर्याप्त हानि के बाद विजय श्री प्राप्त हुई थी। मुगल काल में गोंडवाना की रानी दुर्गावती, चित्तौड़ की महारानी कर्मवती, मराठवाड़े की राजमाता ताराबाई जैसी बहादुर महिलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। अंग्रेजों से लोहा लेने वाली किचूर की रानी चैनम्मा और झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई को भुला पाना लगभग असम्भव है। रजिया बेगम, चाँदबीबी तथा अहिल्याबाई होल्कर के शासन और बहादुरी की कहानियाँ बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं।

वस्तुतः भारत में पुनर्जागरण और राजनीतिक चेतना का विकास साथ- साथ प्रारम्भ हुआ। तत्कालीन समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, महादेव गोविन्द रानाडे



और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने समाज सुधार आन्दोलन के द्वारा नारी उत्थान और सामाजिक सुधारों पर विशेष बल दिया।

1857 ई. में भारत के पहले स्वतन्त्रता संग्राम के समय और 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सामाजिक सुधारों के साथ राजनीतिक चेतना के क्षेत्र में भी मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस की उत्पत्ति के समय से ही महिलाओं की रुचि राजनीति में किसी-न-किसी रूप में दृष्टिगोचर होने लगी। यद्यपि सामाजिक संस्थाएँ और स्त्री संगठन उनमें राजनीतिक चेतना जागृत करने में सहयोग और सहायता प्रदान कर रहे थे फिर भी इसे महिलाओं के राजनीति में प्रवेश के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

राजनीति में प्रवेश - बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महिलाओं का राजनीति में वास्तविक प्रवेश हुआ। बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में महिलाओं ने कांग्रेस के स्वदेशी आन्दोलन में उल्लेखनीय भूमिका अभिनीत की और आगामी दशा में उन्होंने सीधे राजनीति में प्रवेश कर लिया। 1913 ई. में राजनीति में प्रवेश करके आयरिश महिला ऐनीबेसेण्ट ने भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया तथा भारत की महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने की प्रेरणा प्रदान की। वे 1907 ई. में कोलकाता में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष भी चुनी गईं। इससे उन्होंने मार्ग्रेट काजिन्स और सिस्टर निवेदिता के साथ मिलकर 'वेक अप इण्डिया' नामक आन्दोलन चलाया जो कालान्तर में होमरूल आन्दोलन में बदल गया था।

1917 ई. में राजनीतिक भूमिका में भारतीय महिलाओं का प्रथम महत्वपूर्ण वर्ष था। जब उन्होंने एक साथ कई नवीन दिशाओं में पग बढ़ाये। श्रीमती ऐनीबेसेण्ट के नेतृत्व में महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान करने की माँग को उठाया गया तथा उस तथ्य को परखा जाये कि वे महिलाएँ स्थानीय शासन व शिक्षा के क्षेत्र में किस क्षमता से अपने दायित्व का निर्वाह करती हैं। फलतः 1907 ई. में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में कुछ प्रमुख महिलाओं का एक शिष्टमण्डल भारत मन्त्री मॉण्टेग्यू तथा वाइसराय चेम्सफोर्ड से मिला। इस घटना को केवल महिला जागृति का प्रतीक नहीं कहा जा सकता अपितु राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान का प्रमाण कहा जा सकता है।



इसी वर्ष 1917 ई. में ही मार्ग्रेट काजिन्स ने चेन्नई में वुमेन्स इण्डियन एसोसिएशन नामक एक अखिल भारतीय महिला संगठन बनाया जिसकी प्रेरणा श्रीमती बेसेण्ट और महात्मा गाँधी ने उन्हें दी थी। यद्यपि इस समय अंग्रेजी संसद ने महिलाओं को मताधिकार से वंचित ही रखा था परन्तु प्रान्तीय विधान सभाओं को इस मामले पर विचार करने की आज्ञा दे दी थी। फलतः, महिलाओं को सीमित रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में स्थापित अन्य संगठनों ने भी मिल-जुलकर अंग्रेजी सरकार का कड़ा विरोध किया और अन्त में सफलता अर्जित की और मताधिकार का मामला प्रान्तीय विधानसभा को सौंप दिया गया।

राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियाँ - 1919 ई. में महिला कार्यकर्त्रियों के प्रयासों के फलस्वरूप नई विधान परिषद् ने महिलाओं को सीमित मताधिकार दिये जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया था और 1926 ई. में उन्हें पुरुषों के समान मतदान का अधिकार प्राप्त भी हो गया। इसी वर्ष उन्हें प्रान्तीय विधान सभाओं के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिल गया और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय प्रथम महिला थीं जिसने दक्षिण कनारा क्षेत्र में चेन्नई विधान परिषद् के लिए चुनाव लड़ा परन्तु दुर्भाग्यवश वह पराजित हो गई फिर भी इसे महिलाओं की एक महान् उपलब्धि स्वीकार किया गया क्योंकि यह हार लगभग पाँच सौ मतों के अन्तर से हुई थी। इस पराजय के बाद भी भारतीय महिला परिषद् ने चेन्नई सरकार पर दबाव डाल कर उन्हें नामजद महिला प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में लेने के लिए राजी कर लिया। फलतः महिलाओं को प्रोत्साहन मिला और 1926 ई. में होने वाले चुनावों में चट्टोपाध्याय और एन्ना ऐंजेलों विजयी रहीं। इसी समय में डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेडी अम्मल को चेन्नई व्यवस्थापिका में सदस्य नामित किया गया तथा 20 वर्ष से कम समय में ही भारतीय महिलाओं ने नागरिक के रूप में अपने दायित्व के पालन का समान अधिकार प्राप्त कर लिया।

इससे पूर्व 1925 ई. श्रीमती सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जा चुका था। 1927 ई. में स्थापित आल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस यद्यपि प्रकृति से गैर-राजनीतिक संगठन था परन्तु इसने सामाजिक सुधारों के साथ-साथ महिलाओं में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज भी यह संगठन महिलाओं के उत्थान के लिए निरन्तर क्रियाशील है। इस संगठन का महत्वपूर्ण



नारा-‘समान अधिकार और समान दायित्व’ का है। यह किसी प्रकार की कोई विशेष सुविधा अथवा आरक्षण के पक्ष में नहीं है।

उपसंहार : शासन में प्रवेश-1937 ई. में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के गठन के साथ ही महिलाओं को राजनैतिक रूप से जागरूक करने हेतु प्रान्तीय व केन्द्रीय विधानसभाओं में लिया जाना प्रारम्भ हो गया परन्तु अभी तक उच्च प्रशासनिक पदों तक उनकी पहुँच नहीं हो पाई थी। स्वतन्त्र भारत में संविधान के अन्तर्गत समानाधिकारों की घोषणा के पश्चात् महिलाओं के लिए उच्च पदों पर पहुँचने का मार्ग भी उन्मुख हो गया। आजादी से पूर्व किसी महिला द्वारा आई.सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्णन प्राप्त नहीं होता है, परन्तु स्वतन्त्रोत्तर काल में कुमारी अन्ना जार्ज इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली पहली महिला थी। वर्तमान में यह संख्या सैकड़ों में है। इसके साथ पुलिस विभाग, लेखा विभाग और विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी महिलाएँ कार्य कर रही हैं। प्रत्येक वर्ष नये नाम नये विभागों और सेवाओं में जुड़ते जा रहे हैं जो महिलाओं की निरन्तर बढ़ती हुई राजनैतिक क्षमता और योग्यता के स्पष्ट प्रमाण हैं।



सन्दर्भ-सूची :

1. सुधीश पचोरी : विमेन सरभाईबल एज ए डेवल्पमेन्ट प्रोब्लम, बुलेटिन ऑफ द अमेरिकन एकेडेमी, दिल्ली, 2008, पृष्ठ-131
2. अर्चना वर्मा : जब स्त्रियों ने इतिहास रचा, नवजागरण प्रकाशन, महाराष्ट्र, प्रकाशन वर्ष-2004, पृष्ठ संख्या-24
3. पूरनचंद्र जोगी : आधी आबादी : स्वप्न और यथार्थ, वर्ष-2006, पृष्ठ संख्या-100
4. सान्द्रा विल्सन : महिला विमर्श, अंक-24, वर्ष-2010, पृष्ठ संख्या-124
5. डॉ० मीनाक्षी सखी : महिला संघर्ष : अतीत और वर्तमान, प्रकाशक युवा संवाद, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष-2005, पृष्ठ संख्या-127
6. एवेन गुर : उद्धृत, औरत के हक में, वाणी प्रकाशन, श्री ऊँ प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष-1996, पृष्ठ संख्या-29
7. डॉ० एस० शर्मा : लिंग एवं समाज, एन० ओ० यू०, वर्ष-2007, पृष्ठ-109
8. के० एन० सिंह : वुमेन आर बेटर एज ऍक्सक्यूटिव, प्रकाशित आलेख, हिन्दुस्तान टाईम्स, प्रकाशन वर्ष-2007, पृष्ठ संख्या-12